न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 92/2024
तारीख दायरः–09.12.2024
पीठासीन अधिकारीः–विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री गमेर सिंह पुत्र श्री बापुलाल चौधरी, मैसर्स मुम्बई चोपाटी कुल्फी आईसक्रीम, धरियावद नाका प्रतापगढ

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 15/07/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड लस्सी का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी [illegible] पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद [illegible] 05.2024 को 6.00 पी. [illegible] प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 मुम्बई चोपाटी कुल्फी आईसक्रीम धरियावद नाका प्रतापगढ़ पहुंचा।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़

वहां एक टंकी में 6–7 लीटर लस्सी रखी थी। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम गमेर सिंह चोधरी पुत्र बापुलाल होना बतलाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र मांगा मौके पर विक्रेता के पास उपलब्ध था। टंकी में रखी लस्सी पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बता दिया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा टंकी में रखी लस्सी में से 2 लीटर लस्सी वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 120 रू विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए व फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जॉच हेतु क्रय किये गये 2 लीटर लस्सी को विक्रेता तथा गवाहान की उपस्थिति में प्लास्टिक की चार साफ–सुखी व खाली बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर फार्मलीन की 40 बूंद प्रत्येक बोतल मे डालकर इनका मुंह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाइट बन्द किया। चारों नमूना बोतलो पर लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ के कोड व सीरियल नम्बर वाई 2181 नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की दिनांक व स्थान किस वस्तु का नमूना लिया आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर कर चिपकाये। प्रत्येक नमूना बोतल को मोटे व मजबूत कागज मे लपेटकर कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप वाई 2181 गोंद से प्रत्येक नमूना बोतल के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में चिपक[illegible] व मजबूत धागे से बांधकर, चार जगह चपडी से , एक सील प्रत्येक न[illegible] लगाई थी, लगाकर नियमानुसार सील बन्द किया। चा[illegible] के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये जो आधे पेपर स्लिप व आधे रेपर पर है, गवा[illegible] के हस्ताक्षर करवाकर प्रत्येक नमूना बोतल को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:15 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की । 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ.को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया लस्सी का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया इस क्रम में मालिक द्वारा फूड लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी उपस्थित एवं जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांसवाडा/एक्ट/2024/632 दिनांक 04.06.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा लस्सी का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा की उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है ।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी के यहां उपलब्ध कुल माल 7 लीटर लस्सी की कुल कीमत 420 रू की 5 गुना शास्ति अर्थात (7X60X5) = 2100/–रू अप्रार्थी पर आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवा नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 15.07.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

कमांक/रीडर/2025/ दिनांक 15.07.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री गमेर सिंह पुत्र श्री बापुलाल चौधरी, मैसर्स मुम्बई चोपाटी कुल्फी आईसक्रीम, धरियावद नाका प्रतापगढ

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:15 IST
Reason: SelfAttested

4